झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक अपील (डीबी) 2144/ 2023

सज्जन कुमार भुईया, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय कामेश्वर भुईया, निवासी ग्राम चकला, पो. और पी.एस. चंदवा, जिला- लातेहार।

....अपीलकर्ता

बनाम

एनआईए के माध्यम से झारखंड राज्य

.....प्रतिवादी

कोरम: माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय श्रीमान जस्टिस संजय प्रसाद

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री आर.एस. मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री निशांत रॉय, वकील
प्रतिवादी के लिए: श्री सौरव कुमार, वकील

मौखिक आदेश
03/ **दिनांक:**06**फरवरी**, 2024
प्रति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश

प्रार्थना

1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, **2008** की धारा **21(4)** के तहत दायर त्वरित अपील, विद्वान अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त- **XVI**- सह- विशेष न्यायाधीश, एनआईए, रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक **13.10.2023** के खिलाफ निर्देशित है। **2022** के विशेष एनआईए केस संख्या **03** से उत्पन्न आपराधिक आवेदन संख्या **2186 /2023,** जिसके द्वारा आर.सी. के संबंध में अपीलकर्ताओं की नियमित जमानत के लिए प्रार्थना की गई थी। लोहरदगा पेशरार थाना से उत्पन्न कांड संख्या **02 /2022/** एनआईए/ आरएनसी. **2022** का केस नंबर **5** आईपीसी की धारा **147, 148, 149, 307, 353** और **414** के तहत दर्ज; शस्त्र अधिनियम की धारा **25(1**-ए), **25(1**-बी)ए, **26, 27** और **35** के तहत; यूए(पी) अधिनियम की धारा **10, 13, 14, 15** और **18** के तहत; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा **3/ 4 /5** और सीएलए अधिनियम की धारा **17** के तहत खारिज कर दिया गया है।

तथ्य

1. इस आपराधिक अपील के लिए अभियोजन पक्ष के मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि, झारखंड पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि, क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के कमांडर रवींद्र गंझू को सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय कैडरों बलराम ओरांव, मुनेश्वर गंझू, बालक गंझू, दिनेश नघेशिया, अघनु गंझू, लाजिम अंसारी, मारकुश नघेशिया, संजय नघेशिया, शीला खेरवार के साथ गिरफ्तार कर लिया। ललिता देवी और **45- 50** अन्य कैडर बुलबुल के वन क्षेत्र में इकट्ठे हुए थे और सुरक्षा बलों के खिलाफ और बॉक्साइट खदान क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और वहां सूचना मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ओपीएस योजना तैयार की गई थी और ऑपरेशन किया गया था। **08.02.2022** को कोबरा- **203/209,** झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के अधिकारियों/ कर्मचारियों की टीम बनाकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया जो **08.02.2022** से लागू किया गया।

ऑपरेशन, **17.02.2022** को उपरोक्त खोज की निरंतरता में, सूचना के आधार पर ऑपरेशन प्लान नंबर- **48** बनाया गया था जिसमें तीन खोज दल शामिल थे जिनमें स्थानीय पुलिस, कोबरा और आईआरबी शामिल थे। वे बहाबर जंगल की ओर आगे बढ़े। रास्ते में एक खोज दल पर घात लगाकर सीपीआई (माओवादी) द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई। खोजी दल ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के हावी होने पर नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर अलग-अलग दिशाओं में भाग गये. घटना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्रियां बरामद की गईं। **5.56** एम एम इंसा राइफल- **01,** कंट्रीमेड पिस्तौल-**01, 5.56** एमएम राउंड ऑफ इंसास- **86** राउंड. राउंड- **328** राउंड, एसएलआर राउंड-

1123 राउंड, एसएलआर मैगजीन-**11,** इंसास मैगजीन- **04,** इंसास एलएमजी मैगजीन- **02,** भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री, माओवादियों से संबंधित दस्तावेज और डायरियां और नक्सली ड्रेस बरामद की गईं।

अगले दिन यानी **19.02.2022** को जब तलाश जारी रखी गई तो टीम को **07-08** पिट्ठू (बैक-पैक) बैग मिले। बैगों की गहन तलाशी के दौरान आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा **20.02.2022** को, परिचालन योजना संख्या **51** के अनुसार, पिछली खोज टीम के समन्वय के साथ सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों की खोज करने और उन्हें पकड़ने के लिए अतिरिक्त खोज दल भेजे गए थे, आपत्तिजनक वस्तुओं यानी नक्सल से संबंधित दस्तावेजों और डायरियों को बरामद किया गया था। यूनिस्टार जंगल जूते, नक्सली वर्दी, लेटर पैड (**05),** नोट बुक (**10)** और दैनिक जरूरत की वस्तुएं बरामद कर जब्त कर ली गईं।

इसके अलावा, दिनांक **21.02.2022** को खोजी दल संख्या **2** को थाना- पेशरार अंतर्गत ग्राम हरकट्टाटोली में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। पूछने पर उसने अपना नाम संजय नगेसिया (ए-**9),** पुत्र स्वर्गीय जगमोहन नगेसिया, ग्राम-कोर्गो, थाना-बगड़ू, जिला-लोहरदगा बताया। उनकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान नक्सली पर्चा, डायरी (**08),** आईईडी (**01),** नक्सली पोशाक और आईईडी बनाने की सामग्री जब्त की गई। संदिग्ध संजय नगेसिया को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। विस्फोटक सामग्री का बीडीडीएस टीम द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया।

पुलिस टीम ने नक्सली का पीछा किया और तीन लोगों को पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनका एक साथी भुसाखाड़ वन (किस्को) की ओर भाग गया है. मरकुश नगेसिया नाम के व्यक्ति की तलाशी ली गई और उसके पास से एक ग्रे रंग का पिट्ठू (बैक-पैक) बैग, जिसमें एक लड़ाकू पोशाक, **15** राउंड **5.56** मिमी जीवित गोला बारूद और नक्सली साहित्य वाली किताब मिली और तदनुसार जब्त कर लिया गया।

बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान एक कट्टर माओवादी बलराम ओराँव को उसके तीन कैडर सदस्यों के साथ पकड़ा गया। तलाशी लेने पर बलराम उराँव के पास से **2,09,050/-** रुपये (जो हरे प्लास्टिक में लपेटा हुआ था) बरामद हुआ। हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों के संबंध में आगे पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने अपने हथियार और गोला-बारूद अपने साथियों को सौंप दिए थे जो जंगल के दूसरी ओर भाग गए थे। नाम और पते की पुष्टि के बाद सीपीआई (माओवादी) कैडर के सदस्य शैलेश्वर उराँव, शैलेन्द्र नगेसिया, मरकुश नगेसिया, मुकेश कोरबा को गिरफ्तार किया गया। पेशरार थाने में महिला नक्सली शीला खेरवार को भी गिरफ्तार किया गया. **21.02.2022** को सीपीआई (माओवादी) के कुल नौ सशस्त्र कैडर गिरफ्तार किए गए।

1. तद्नुसार लिखित प्रतिवेदन के आधार पर लोहरदगा पेशरार पी.एस. केस नंबर **5/2022** दिनांक **21.02.2022** धारा **147,148,149,307,** आईपीसी की धारा **353, 414,** शस्त्र अधिनियम की धारा **25 (1**ए)/**25 (1**-बी) ए, **26, 27, 35,** विस्फोटक पदार्थ अधिनियम **1908** की धारा **3,4,5,** सीएलएएक्ट की धारा **17** और धारा **10, 13, 14,** यूएपी अधिनियम **1967** की धारा **15** एवं **18** के तहत थाना पेशरार, जिला लोहरदगा में केस दर्ज किया गया था ।

2. भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपराध की गंभीरता और इसके सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए, धारा **8** के साथ पठित धारा **6(5)** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए व एनआईए अधिनियम **2008** और एनआईए को उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

3. गृह मंत्रालय के निर्देश पर, एनआईए ने आईपीसी की धारा **147,148,149, 307, 353, 414,** आईपीसी की धारा **25 (1**ए) के तहत एनआईए केस संख्या **02/2022/**एनआईए-आरएनसी दिनांक **14.06.2022** को फिर से दर्ज किया। **25 (1**-बी) ए,शस्त्र अधिनियम की धारा **26,27,35,** विस्फोटक पदार्थ अधिनियम **1908** की धारा **3,4,5** सीएलए अधिनियम की धारा **17** और यूएपी अधिनियम **1967** की धारा **10, 13, 14, 15** और **18** के खिलाफ **17** नामित आरोपी व्यक्तियों (माओवादी संगठन के सदस्य) और **30-35** अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

6. एनआईए द्वारा जांच के दौरान, बहुत सारे दस्तावेज यानी पॉकेट डायरी नोट बुक, लेटर पैड, माओवादी किताबें जब्त की गईं और लेवी/ रंगदारी के पैसे के संग्रह के बारे में विवरण भी डायरी में उल्लिखित है, जो स्थापित करता है कि फंड सीपीआई के लिए जुटाया गया था। (माओवादी). डायरी में हथियारों और गोला-बारूद के विवरण का भी उल्लेख है जो उनकी जब्ती से पुष्टि करता है।

7. जांच के दौरान यह पता चला कि एक आरोपी राजू कुमार राजू साहू (ए-29) अपने सहयोगियों के साथ, फरार आरोपी रविंदर गंझू को वन क्षेत्र में स्थित अपने विभिन्न ईंट भट्ठों पर आश्रय प्रदान करता था। लोहरदगा और लातेहार जिले में, यह पता चला है कि राजू कुमार उर्फ राजू साहू (ए-29) ईंट भट्ठा मुंशी/कर्मचारियों अर्थात् साजन कुमार भुइयां (ए-17) की मदद से वर्तमान अपीलकर्ता ने सीपीआई (माओवादी) के क्षेत्रीय समिति सदस्य, फरार आरोपी रविंदर गंझू को आश्रय, भोजन और अन्य रसद सहायता प्रदान की।

तदनुसार, 14 स्थानों पर तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, साजन कुमार भुइयां (ए-17) के कमरे से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन और 06 जिंदा राउंड जब्त किए गए। वर्तमान अपीलकर्ता सरनटोली, लोहरदगा, झारखंड में स्थित ईंट भट्टे पर था और तदनुसार उसकी जांच की गई और उसकी संदिग्ध भूमिका के कारण, उसे 09.04.2023 को गिरफ्तार कर लिया गया।

8. अपीलकर्ता को 09.04.2023 को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, यानी वास्तविक द्वारा जांच के बाद और इस प्रकार, जमानत के खिलाफ प्रार्थना की गई थी, लेकिन दिनांक 13.10.2023 के आदेश को वर्तमान अपील प्रपत्र के कारण खारिज कर दिया गया है।

9. जांच के बाद द्वितीय अनुपूरक आरोप पत्र, संख्या 1ए/2023, दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के तहत 3 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता- 7 साजन कुमार भुइया को आरोपी -17 के रूप में चिह्नित किया गया है और अपीलकर्ता के अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच को लंबित रखा गया है। वर्तमान अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (18)6 35 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 19 और 39 के तहत अपराधों के लिए आरोपों का सामना कर रहा है।

<u>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण</u>

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेश पर आपत्ति जताई है: -

(i) एनआईए ने अपनी जांच से यह स्थापित नहीं किया है कि अपीलकर्ता ने कौन सा आतंकवादी कृत्य किया था और इस प्रकार गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता है।

(ii) विद्वान अदालत यह समझने और विचार करने में विफल रही कि अपीलकर्ता को किसी भी आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं पाया गया है, न ही उसने किसी भी तरह से नक्सली संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया है, इस प्रकार अपीलकर्ता को अधिनियम, 1967 के दायरे में नहीं लाया जा सकता है ।

(iii) अपीलकर्ता के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है।

(iv) अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं है और उसे केवल एनआईए द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र के आधार पर तत्काल मामले में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

(v) अपीलार्थी अप्रैल 2023 से हिरासत में है।

(vi) भारत संघ बनाम के.ए. नजीब के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार (2021) 3 एससीसी 713 में बताया कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और इसलिए, हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह उपयुक्त है और ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत से रिहाई का हकदार है ।

2. उपरोक्त आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को नियमित

जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय मामले के उस पहलू पर विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार नहीं किया गया इसलिए हस्तक्षेप किया जाना आक्षेपित आदेशों की आवश्यकता है ।

<u>एन.आई.ए. के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतीकरण:</u>

12. दूसरी ओर, एन.आई.ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेशों का बचाव किया है: -

(i) ऊपर नामित अपीलकर्ता सीपीआई माओवादी संगठन (एक प्रतिबंधित संगठन) का सदस्य है।

(ii) तलाशी के दौरान बहुत सारे दस्तावेज़ यानी पॉकेट डायरी नोट बुक, लेटर पैड, गीली किताबें जब्त की गईं। एक डायरी में लेवी/ रंगदारी के पैसे वसूलने का भी ब्योरा है और डायरी में हथियार और गोला-बारूद के ब्योरे का भी जिक्र है.

(iii) आरोपियों में से एक राजू कुमार उर्फ राजू साहू अपने सहयोगियों के साथ लोहरदगा और लातेहार जिले के वन क्षेत्र में स्थित विभिन्न ईंट भट्ठों पर फरार आरोपी रविंदर गंझू को आश्रय प्रदान करता था। इसके अलावा, राजू कुमार उर्फ राजू साहू ने ईंट भट्ठा मुंशी/ कर्मचारियों अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता साजन कुमार भुइयां की मदद से सीपीआई (मॉइस्ट) के क्षेत्रीय समिति सदस्य, फरार आरोपी रविंदर गंझू को आश्रय, भोजन और अन्य रसद सहायता प्रदान की।

(iv) 14 स्थानों पर तलाशी के दौरान हथियार और गोला- बारूद, आपराधिक सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। लोहरदगा के सरनाटोली स्थित ईंट भट्ठा स्थित अपीलार्थी/ अभियुक्त साजन कुमार भुइयां के कमरे से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन और 06 जिंदा कारतूस जब्त किए गए।

(v) भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपात तत्काल मामले में लागू नहीं है, कारण यह है कि, उपरोक्त मामले में, आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उक्त मामले में, प्रकृति और पृष्ठभूमि अपराध अलग था लेकिन मौजूदा मामले में, यह रिकॉर्ड में आया है कि अपीलकर्ता की प्रतिबंधित संगठन के साथ सीधी सांठगांठ है।

2. इसलिए, एनआईए की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार पर कहा है कि विवादित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण:

14. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और आक्षेपित आदेशों तथा आरोप-पत्र में विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार किया।

15. यह न्यायालय, इस बात की जांच करने से पहले कि क्या अपीलकर्ता उसे जमानत पर रिहा करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम है, कानून के कुछ स्थापित प्रस्तावों और गैरकानूनी गतिविधियों के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करना उचित समझता है(रोकथाम अधिनियम, 1967) । (इसके बाद इसे अधिनियम, 1967 के रूप में संदर्भित किया गया है) जिस पर यहां विचार किया जाना आवश्यक है।

16. अधिनियम, 1967 का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियाँ उपलब्ध कराना है। प्रस्तावना के अनुसार, अधिनियम, 1967 व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिए, यू.ए.(पी) अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करना भी है।

17. कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के उक्त उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि अगर किसी एसोसिएशन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, तो एक व्यक्ति, जो इसका सदस्य है बना रहेगा। ऐसे संगठन के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

18. 1967 अधिनियम की धारा 2 का खंड (एम) "आतंकवादी संगठन" को परिभाषित करता है। इसे पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। सीपीआई (माओवादी) को आइटम नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। प्रथम अनुसूची में 34. 1967 अधिनियम के अध्याय III में विभिन्न अपराध शामिल हैं। अध्याय IV का शीर्षक "आतंकवादी कृत्य के लिए सजा" है। धारा 2 का खंड (के) यह प्रदान करता है"आतंकवादी अधिनियम" का वही अर्थ है जो धारा 15 के तहत दिया गया है और आतंकवादी अधिनियम में ऐसा कार्य शामिल है जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में और जैसा कि परिभाषित है, एक अपराध है।

19. इसके अलावा अधिनियम, 1967 की धारा 10 (ए) (आई) में यह प्रावधान है कि जहां किसी एसोसिएशन को धारा 3 के तहत जारी एक अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, जो उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गई है, एक व्यक्ति, जो ऐसा करता है ऐसे संघ का सदस्य बने रहने पर कारावास की सज़ा हो सकती है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, इसलिए, जब तक कि धारा 10 (ए) (आई) के तहत कोई व्यक्ति ऐसा करता है या ऐसे संघ का सदस्य बने रहने पर दंडित किया जाएगा।

20. कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के उक्त उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि जहां किसी एसोसिएशन को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, तो एक व्यक्ति, जो इसका सदस्य है और बना रहेगा। ऐसे संगठन के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

21. 1967 अधिनियम की धारा 2 का खंड (एम) "आतंकवादी संगठन" को परिभाषित करता है। इसे पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। सीपीआई (माओवादी) को आइटम नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। 1967 अधिनियम के अनुसूची में 34डी, अध्याय III में विभिन्न अपराध शामिल हैं। अध्याय IV का शीर्षक "आतंकवादी कृत्य के लिए सजा" है। धारा 2 का खंड (के) यह प्रदान करता है

"आतंकवादी अधिनियम" का वही अर्थ है जो धारा 15 के तहत दिया गया है और आतंकवादी अधिनियम में ऐसा कार्य शामिल है जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में और जैसा कि परिभाषित है, एक अपराध है।

22. अधिनियम की धारा 43डी(5) के प्रावधान का संदर्भ देने का कारण यह है कि जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने अपीलकर्ता के खिलाफ यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध को आकर्षित करने वाली सामग्री की खोज की है। चूंकि, यह न्यायालय अब यूए (पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत

जमानत के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है और इसलिए, अधिनियम की धारा 43 डी (5) के प्रावधान के तहत जो पैरामीटर रखा गया है, वह भी आवश्यक है।

23. नियमित जमानत देने के मामले में यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 43 डी (5) के तहत निर्धारित आवश्यकता **राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली जो कि [(2019) 5 एससीसी 1] में रिपोर्ट किया है** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के लिए गिर गई। अनुच्छेद 23 में, अधिनियम, 1967 की धारा 43डी(5) के तहत निर्धारित अभिव्यक्ति "प्रथम दृष्टया सत्य" की व्याख्या करके यह माना गया है कि कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/ साक्ष्य तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उनका खंडन न किया जाए और अन्य सबूतों से उन्हें दूर या अस्वीकृत न कर दिया जाए, और प्रथम दृष्टया कथित अपराध को अंजाम देने में आरोपी को इस तरह की मिलीभगत का पता न चले । यह भी देखा गया है कि किसी दिए गए तथ्य या बताए गए अपराध को बनाने वाले तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए यह पहली नज़र में अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या खंडन न किया जाए। संतुष्टि की डिग्री तब हल्की होती है जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप "प्रथम दृष्टया सच" है, जबकि अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक ऐसे अपराध के लिए आरोपी "दोषी नहीं" है कहा जाता है। त्वरित संदर्भ के लिए, पूर्वोक्त निर्णय के पैराग्राफ 23 को यहां उद्धृत करना आवश्यक है जो इस प्रकार है:-

> *''23. उपधारा (5) के नियम के आधार पर, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संतुष्ट हो कि विश्वास करने के लिए यह उचित आधार हैं कि प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही है या अन्यथा। हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया, जिसे टाडा और 'मकोका' में समान विशेष प्रावधानों से निपटने का अवसर मिला है। 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय उन निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांत का कुछ असर हो सकता है। विशेष रूप से, टाडा, मकोका और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 जैसे विशेष अधिनियमों के तहत, न्यायालय को यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी कथित अपराध के लिए "दोषी नहीं" है जिसमें यह विश्वास करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप "प्रथम दृष्टया" सत्य है। इसमे अपनी राय दर्ज करने की आवश्यकता होती है । न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध के लिए "दोषी नहीं है" और 1967 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि कि उचित आधार हैं । दोनों के बीच कुछ हद तक अंतर है। अपनी प्रकृति से, अभिव्यक्ति "प्रथम दृष्टया सत्य" का अर्थ यह होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/ साक्ष्य तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उनका खंडन न किया जाए और अन्य साक्ष्यों द्वारा उन्हें दूर या अस्वीकृत न कर दिया जाए। यह प्रथम दृष्टया, कथित अपराध को अंजाम देने में ऐसे अभियुक्तों की मिलीभगत को दर्शाता है। यह किसी दिए गए तथ्य या बताए गए अपराध को बनाने वाले तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन न किया गया हो। एक अर्थ में, संतुष्टि की डिग्री तब हल्की होती है जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप "प्रथम दृष्टया सत्य" है, जबकि अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त राय की तुलना में की "दोषी नहीं" है । किसी भी मामले में, यह राय देने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है, या 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आरोप तय करने के समय मुक्ति आवेदन पर विचार करने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री से कम है ... ।''*

24. इस प्रकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाहवताली (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव से स्पष्ट है कि इसे लागू करना न्यायालय का परम कर्तव्य है। स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री की जांच करने पर विचार करें कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

25. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाहवताली (सुप्रा) के उसी मामले में कानून का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन की आवश्यकता नहीं है। यह इस स्तर पर किया जाता है और न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कथित अपराध के कमीशन में या आरोपी की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज करे। पूर्वोक्त निर्णय के अनुच्छेद 24 और 25 को तत्काल संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किया जा रहा है: -

> "24.प्राथमिक रूप से, इस स्तर पर न्यायालय द्वारा जमानत देने या न देने के कारण बताने की प्रक्रिया साक्ष्य के गुण या दोषों पर चर्चा करने से स्पष्ट रूप से भिन्न है। इस स्तर पर साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह कथित अपराध में या अन्यथा आरोपी की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करे।
>
> 25. आक्षेपित निर्णय के विश्लेषण से, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के

गुण और दोषों की जांच करने के क्षेत्र में कदम रखा है। इसके लिए, यह नोट किया गया कि धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों के रूप में साक्ष्य स्वीकार्य नहीं थे । इसके अलावा, जांच एजेंसी द्वारा सेवा में लगाए गए दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं थे। यह भी नोट किया गया कि यह संभावना नहीं थी कि दस्तावेज़ 16-8-2017 तक गुलाम मोहम्मद भट्ट के आवास से बरामद किया गया था (आक्षेपित निर्णय का पैरा 61)। इसी तरह, धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए संरक्षित गवाहों के बयानों को पूरी तरह से खारिज करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, इस विशिष्ट आधार पर कि उसे एक सीलबंद कवर में रखा गया था और नामित न्यायालय द्वारा इसका अवलोकन भी नहीं किया गया था और इसलिए भी क्योंकि ऐसे संदर्भ दर्ज किए गए बयान प्रतिवादी के खिलाफ पहले से दायर आरोप-पत्र में नहीं पाए गए, हमारी राय में, अदालत के कर्तव्य की पूरी तरह से उपेक्षा है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि संबंधित अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं अन्यथा न्यायालय को यह राय न केवल एफआईआर में आरोप के संदर्भ में, बल्कि केस डायरी की सामग्री और जांच के दौरान जांच एजेंसी आरोप-पत्र (सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट अन्य सामग्री सहित भी पहुंचानी चाहिए।"

26. इसके अलावा, कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि जमानत देने या न देने के चरण में, अदालत से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस अपराध में आरोपी की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करे। उक्त अपराध की विस्तृत जांच या विच्छेदन इस स्तर पर करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में रंजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम. महाराष्ट्र राज्य, (2005) 5 एससीसी 294 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। तत्काल संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ को इस प्रकार संदर्भित किया जा रहा है:

"46. इस स्तर पर अदालत का कर्तव्य साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक तौलना नहीं है, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मकोका जैसे विशेष क़ानून से निपटते समय, अदालत को मामले की गहराई से जांच करनी पड़ सकती है ताकि वह किसी नतीजे पर पहुंच सके। जांच के दौरान अभियुक्तों के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री दोषसिद्धि के फैसले को उचित नहीं ठहरा सकती है। जमानत देते या अस्वीकार करते समय अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निस्संदेह प्रकृति में अस्थायी होंगे, जिसका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं होगा और मुकदमे में, किसी भी तरह से पक्षपात किए बिना इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा। "

27. इसके अलावा, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि संबंधित आरोपी के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही है और ऐसी राय अदालत को न केवल एफआईआर में आरोप के संदर्भ में बल्कि आरोप पत्र की सामग्री और जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के संदर्भ में भी पहुंचनी चाहिए।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** में दिए गए एक हालिया फैसले में दिए गए फैसले पर विचार करते हुए **2024 *एससीसी ऑनलाइन एससी* 109 में** रिपोर्ट दी। ***राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली (सुप्रा)*** ने देखा है कि, धारा 43 डी की उप-धारा *(5)* का प्रावधान किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने की विशेष अदालत की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और यह निर्धारित करता है कि यदि न्यायालय, ' केस डायरी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट' है तो यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अध्याय IV और अध्याय VI के तहत अपराध या अपराधों के संबंध में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है। यूएपी अधिनियम प्रथम दृष्टया सत्य है कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत या उसके बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सामान्य दंडात्मक अपराधों की तुलना में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक विचार यह है कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश के पक्ष में झुकना चाहिए कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - जब तक परिस्थितियां उचित न हों- यूएपी के तहत जमानत आवेदन से निपटने के दौरान इसे कोई जगह नहीं मिलती है। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए अधिनियम और सामान्य शक्ति का 'प्रयोग' गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है।

उपरोक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि, इसलिए, अदालतों पर संवेदनशील कार्य का बोझ है और यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में, अदालतें केवल यह जांच कर रही हैं कि क्या इसका औचित्य है। जमानत खारिज हो और

केस डायरी और विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से 'औचित्य' की खोज की जानी चाहिए।

2. उपरोक्त पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जमानत की अस्वीकृति के लिए परीक्षण बिल्कुल स्पष्ट है। जमानत को 'नियम' के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए, यदि लोक अभियोजक की सुनवाई के बाद और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत को खारिज कर दिया जाता है। , न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं। आगे यह देखा गया है कि केवल तभी जमानत की अस्वीकृति के लिए परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है -जब अदालतें **'ट्राइपॉड टेस्ट' *(उड़ान जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़)*** के अनुसार जमानत आवेदन पर फैसला करने के लिए आगे बढती हैं ।

तत्काल संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ यहां उद्धृत किए जा रहे हैं:

"27. *धारा* 43 *डी की उपधारा* (5) *को पढ़ने से पता चलता है कि इस तथ्य के अलावा उपधारा* (5) *एक विशेष अदालत को लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने से रोकती है। किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने की मांग करने वाले आवेदन में धारा* 43 *डी की उपधारा* (5) *का प्रावधान किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने की विशेष अदालत की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इसमें कहा गया है कि यदि अदालत, 'केस डायरी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट के अवलोकन पर यह राय रखती है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप, यूएपी अधिनियम के अध्याय IV या अध्याय VI के तहत अपराध का घटित होना या अपराध प्रथम दृष्टया सत्य है, तो ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यूएपी अधिनियम की धारा* 43 *डी*(5) *में पाए गए किसी भी अन्य क़ानून के समान कोई प्रावधान नहीं है। उस अर्थ में, उसमें अपनाई गई जमानत सीमा की भाषा यूएपी अधिनियम के लिए अद्वितीय है।*

28. *सामान्य दंडात्मक अपराधों की तुलना में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक विचार यह है कि अदालतों के विवेक को अक्सर उद्धृत वाक्यांश के पक्ष में झुकना चाहिए - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है - जब तक कि परिस्थितियां उचित न हों। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने के दौरान कोई जगह नहीं मिलती। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है। धारा* 43 *डी* (5) *के परंतुक में प्रयुक्त शब्दों का रूप - 'जारी नहीं किया जाएगा जो शब्दों के रूप के विपरीत है जैसा कि इसमें पाया गया है । सीआरपीसी की धारा* 437(1)-*'जारी किया जा सकता है कि यह जमानत को अपवाद और जेल को नियम बनाने की विधायिका की मंशा का सुझाव देती है।*

29. *इसलिए, अदालतों पर संवेदनशील कार्य का बोझ है। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में, अदालतें केवल यह जांच कर रही हैं कि क्या जमानत खारिज करने का औचित्य है। केस डायरी और विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से 'औचित्य की खोज की जानी चाहिए। विधायिका ने संतुष्टि की डिग्री के माप के रूप में, 'प्रथम दृष्टया मानक निर्धारित किया है, जिसे न्यायालय द्वारा औचित्य की जांच करते समय दर्ज किया जाना चाहिए [रिकॉर्ड पर सामग्री]। इस मानक की तुलना 'सशक्त संदेह के मानक से की जा सकती है, जिसका उपयोग न्यायालयों द्वारा 'मुक्ति के लिए आवेदनों की सुनवाई करते समय किया जाता है--- /*

30. इस पृष्ठभूमि में, जमानत की अस्वीकृति का परीक्षण बिल्कुल स्पष्ट है। जमानत को एक 'नियम' के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए, यदि सरकारी वकील को सुनने के बाद और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी को देखने के बाद, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सच है। ऐसा तभी होता है जब जमानत की अस्वीकृति के लिए परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है कि अदालतें 'ट्राइपॉड टेस्ट' (उड़ान जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़) के अनुसार जमानत आवेदन पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ेंगी। यह स्थिति धारा 43 डी की उप-धारा (6) द्वारा स्पष्ट की गई है, जो बताती है कि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध, आपराधिक प्रक्रिया संहिता या किसी के तहत प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 43डी(5) यूएपी अधिनियम के पाठ्य वाचन के बाद उपरोक्त फैसले में दिशानिर्देश तैयार किया है जिसे ***दोहरे- आयामी परीक्षण*** के रूप में संक्षेपित किया गया था। त्वरित संदर्भ के लिए प्रासंगिक पैराग्राफ को इस प्रकार उद्धृत किया जा रहा है:

"31. *धारा* 43 *डी*(5) *यूएपी अधिनियम के पाठ्य वाचन पर, यूएपी अधिनियम के तहत जमानत*

आवेदनों पर निर्णय लेते समय जमानत अदालत को जो जांच करनी चाहिए, उसे दो- तरफा परीक्षण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:

1) *क्या जमानत खारिज करने का परीक्षण संतुष्ट है?*

1.1 *जांच करें कि क्या प्रथम दृष्टया, कथित 'आरोप यूएपी अधिनियम के अध्याय* IV *या* VI *के तहत अपराध बनते हैं*

1.2 *ऐसी जांच सीआरपीसी की धारा* 173 *के तहत प्रस्तुत केस डायरी और अंतिम रिपोर्ट तक सीमित होनी चाहिए;*

2) *क्या सीआरपीसी की धारा* 439 (*'ट्राइपॉड टेस्ट'*) *के तहत जमानत देने से संबंधित सामान्य सिद्धांतों के आलोक में आरोपी जमानत पर छूट का हकदार है?*

32. यह न्यायालय, कानून की उपरोक्त उल्लिखित स्थिति और तथ्यात्मक पहलू के आधार पर, जैसा कि अपीलकर्ता के खिलाफ इकट्ठा किया गया है, आगे बढ़ रहा है ।जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए जांच करें कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, जबकि आरोपी दोषी नहीं है।

33. इस न्यायालय ने एन.आई.ए. के विद्वान वकील को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए निर्देश दिया था, जैसा कि दिनांक *11.01.2024* के आदेश से प्रतीत होता है और उसके अनुसरण में, जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

34. आरोप पत्र में जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि आरोपियों में से एक राजू कुमार उर्फ राजू साहू, सहयोगियों के साथ फरार आरोपी रविंदर गंझू को लोहरदगा और लातेहार जिले के वन क्षेत्र व ईंट भट्ठा में विभिन्न स्थानों पर आश्रय प्रदान करता था। इसके अलावा, राजू कुमार उर्फ राजू साहू ने मुंशी/ कर्मचारियों अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता साजन कुमार भुइयां की मदद से सीपीआई (माओवादी) के क्षेत्रीय समिति सदस्य, फरार आरोपी रविंदर गंझू को आश्रय, भोजन और अन्य रसद सहायता प्रदान की।

इसके अलावा, तलाशी लेने पर बहुत सारे दस्तावेज़, यानी पॉकेट डायरी नोटबुक, लेटर पैड, गीली किताबें जब्त की गईं। एक डायरी में लेवी/ रंगदारी के पैसे के संग्रह के बारे में भी विवरण दिया गया है और डायरी में हथियारों और गोला-बारूद के विवरण के बारे में भी उल्लेख किया गया है और आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। लोहरदगा के सरनाटोली स्थित ईंट भट्ठा स्थित अपीलार्थी/ अभियुक्त साजन कुमार भुइयां के कमरे से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन और **06** जिंदा कारतूस जब्त किए गए।

इसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ता साजन कुमार भुइयां को जांच के बाद उनकी संदिग्ध भूमिका के कारण **09.04.2023** को गिरफ्तार कर लिया गया।

35. जांच के दौरान, यह पता चला है कि वर्तमान अपीलकर्ता/ अभियुक्त राजू कुमार जी राजू साहू (ए-27) के ईंट भट्ठा मुंशी के रूप में काम करता था, जो सीपीआई माओवादी रवींद्र गंझू (ए-) का करीबी सहयोगी है। (20). जांच में पता चला है कि वर्तमान अपीलार्थी की मुलाकात लोहरदगा जिले के बुलबुल वन क्षेत्र में राजू कुमार (ए-29) के साथ रविंदर गंझू (ए-20) से हुई थी. दौरे के दौरान, अपीलकर्ता ने 20-25 लोगों को काली वर्दी पहने और बड़े हथियार/ राइफलें लिए देखा।

36. इससे यह भी पता चला है कि सीपीआई माओवादी रवींद्र गंझू (ए-20) अपने हथियारबंद दस्ते के साथ राजू कुमार के ईंट भट्ठे पर आता था । राजू कुमार (ए-29) के निर्देशन में, अपीलकर्ता/ अभियुक्त साजन कुमार भुइयां (ए-17) ने कई अवसरों पर उक्त रवींद्र गंझू (ए-20) को कुछ आवश्यक सामान पहुंचाया।

37. इसके अलावा, यह सामने आया है कि अपीलकर्ता/ अभियुक्त साजन कुमार भुइयां (ए-17) ने कुछ सीपीआई माओवादियों से मुलाकात की थी, जिनके नाम हैं गोविंद बिरजिया (ए-16), बालक गंझू (ए-10) मुनेश्वर गंझू (ए- 15), जतरू खेरवार (ए-14) और अन्य। वह (ए-17) और जनवरी 2022 में, राजू कुमार (ए-29) अपीलकर्ता को अपने साथ बुलबुल वन क्षेत्र में ले गए, जहां माओवादी रवींद्र गंझू (ए-20) का एक सशस्त्र दस्ता सदस्य पहले से मौजूद था। उस अवसर के दौरान, राजू कुमार (ए-29) ने माओवादी रवींद्र गंझू (ए-20) को एक कैन और तार सौंपा, जिसे राजू कुमार (ए-29) ने खरीदा था और जिसे बाद में विस्फोटकों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

38. जांच के दौरान, यह पता चला है कि, 08.04.2023 को, अपीलकर्ता/ अभियुक्त साजन भुइयां (ए-17) सरनाटोलिल, इटा भट्टा (ईंट भट्ठा) में था और उस विशेष दिन, रवींद्र गंझू (ए-) 20) उस

स्थान पर पहुंचे और वहीं रात बितायी। अगले दिन (09.04.2023) को एनआईए ने उस जगह की तलाशी ली, लेकिन छापेमारी से पहले ही माओवादी रवींद्र गंझू (ए-20) और राजू कुमार (ए-29) वहां से भाग गए. जगह की तलाशी ली गई और एनआईए अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता/ अभियुक्त साजन कुमार भुइयां (ए-17) से पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान उसके कमरे से एक पिस्तौल और छह गोलियां बरामद की गईं और बाद में उसे (ए-17) गिरफ्तार कर लिया गया।

39. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र में अपीलकर्ता/ अभियुक्त साजन कुमार भुइया (ए-17) के खिलाफ स्थापित अपराधों का उल्लेख पैराग्राफ 17.13.1 में किया गया है जो इस प्रकार है:

"17.13.1 आरोपी साजन कुमार भुइयां (ए-17) के खिलाफ स्थापित भूमिका और अपराध:-

अब तक की गई जांच के अनुसार, यह स्थापित हुआ कि आरोपी साजन कुमार भुइयां (ए-17) आरोपी राजू साहू के साथ स्वेच्छा से बुलबुल वन क्षेत्र में गया और मुख्य आरोपियों में से एक रविंदर गंझू को तार और अन्य आईईडी बनाने की सामग्री प्रदान की। जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) का क्षेत्रीय समिति सदस्य है।

तत्काल अपराध को अंजाम देने के बाद, आरोपी राजू साहू (ए-29) के निर्देशानुसार, उसने फरार आरोपी रविंदर गंझू (ए-20) को राजू कुमार उर्फ राजू साहू (ए-29) के ईंट भट्ठे पर सुरक्षित आश्रय प्रदान किया।

साजन कुमार भुइयां (ए-17) के साथ राजू कुमार राजू साहू (ए-29) के पास भी रविंदर गंझू (ए-20) को सहायता प्रदान करने के इरादे से हथियार, गोला- बारूद था।

40. इसलिए, उपरोक्त पैराग्राफ के अनुसार प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलकर्ता ए-17 ने सह-अभियुक्त ए-29 के साथ साजिश रची, जिसका उद्देश्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन/ मुख्य आरोपी सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों को समर्थन प्रदान करना था जो तात्कालिक मामला में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने में शामिल थे।

41. इसके अलावा ए-17 ने सह-आरोपी ए-29 के साथ स्वेच्छा से रविंदर गंझू (ए-20) और सीपीआई (माओवादी) के अन्य सशस्त्र कैडरों को यह जानते हुए शरण दी/ छिपाया कि वे एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप असत्य नहीं है।

42. आरोप-पत्रों में बताए गए तथ्यों की जांच के दौरान गवाहों के बयान के माध्यम से विधिवत पुष्टि की गई और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया आरोपी/ याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं।

43. इस प्रकार, आरोप पत्र के विभिन्न अनुलग्नकों और पैराग्राफों के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने खुद को आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के साथ जानबूझकर जोड़ा है और उक्त संगठन को स्वेच्छा से सहायता प्रदान की है और इसके अलावा उसने आतंकवादी संगठन को रसद सहायता प्रदान की है। सीपीआई (माओवादी).

44. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता सीपीआई मैंडेट से जुड़ा है और प्रतिबंधित संगठन को सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अरूप भुइयां बनाम असम राज्य एवं अन्य ने (2023) 8 एससीसी 745 के मामले में फैसला सुनाया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी यूए(पी) अधिनियम के तहत एक अपराध है।

45. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हिरासत का आधार लिया है और भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सहायता भी ली है।

46. उपरोक्त निर्णय की सहायता लेते हुए यह तर्क दिया गया है कि हिरासत की अवधि और मुकदमे में संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत से रिहा होने का हकदार है।

47. जबकि, दूसरी ओर, प्रतिवादी एन.आई.ए. की ओर से उपस्थित विद्वान ने उपरोक्त तथ्य को गंभीरता से विवादित किया गया है कि अपराध को अंजाम देने में वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र में में सीपीआई (माओवादी) के करीबी सहयोगियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता आई है।

48. यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था, अर्थात, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, कारण यह है कि, उक्त मामले में, प्रतिवादी/ अभियुक्त जिनकी जमानत उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली थी और जमानत देने के आदेश के खिलाफ, भारत संघ ने अपील को प्राथमिकता दी थी, मामले में अपराध की प्रकृति भिन्न थी।

49. भारत संघ बनाम के के.ए. नजीब (सुप्रा) मामले में तथ्यात्मक पहलू यह है जैसा कि उक्त निर्णय से स्पष्ट होगा कि अपीलकर्ता - के.ए. नजीब का मुकदमा चल रहा है। नजीब अन्य आरोपी व्यक्तियों से अलग हो गया था। अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया और आठ साल की सजा दी गई थी । इसके बाद, जब के.ए. नजीब को पकड़ा गया था, *276* गवाहों से पूछताछ की जानी थी और इस बीच वह पांच साल की हिरासत पूरी कर चुका था।

उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि *276* गवाहों से पूछताछ की जानी है तो इसमें पर्याप्त समय लगेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी गवाहों की संख्या कम करने के लिए एनआईए से राय मांगी थी लेकिन एनआईए ने असमर्थता जताई तो ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए कि 276 गवाहों की जांच में अधिक समय लगेगा और चूंकि अपीलकर्ता, के.ए. नजीब ने पहले ही पांच साल से अधिक की हिरासत पूरी कर चुका था, जबकि अन्य आरोपी व्यक्तियों को आठ साल की सजा सुनाई गई थी, इसलिए जमानत की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई।

50. लेकिन यहां मौजूदा मामले में, नक्सली संगठन को सीधी सहायता देकर, अपीलकर्ता घनिष्ठ संबंध रखता है। इसके अलावा, निर्देश पर, प्रतिवादी- एनआईए की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा बिना किसी अनावश्यक देरी के समाप्त किया जाएगा।

51. इसके अलावा, यह रिकॉर्ड पर आया है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वह स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इस मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है और इस प्रकार, इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के उद्देश्य के लिए उसकी न्यायिक हिरासत आवश्यक है।

52. इस न्यायालय के उपरोक्त तथ्य पर विचार करने के बाद और अपीलकर्ता के खिलाफ की गई जांच के आधार पर, यह स्पष्ट है कि उसकी नक्सली संगठन के साथ सक्रिय सांठगांठ है, उसने माओवादी लोगों को उनकी गतिविधियों में सहायता दी है, इसलिए न्यायालय का मानना है कि अपीलकर्ता का मामला न्यायिक हिरासत से उसकी रिहाई पर विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

53. इसके अलावा, मौजूदा मामले में अपीलकर्ता प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य है और यहां ऊपर की गई चर्चा के अनुसार उसे प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी मिली हुई है।

<u>सारांश</u>:

54. यह न्यायालय, प्रतिबंधित संगठन के प्रत्यक्ष सहयोगी होने के नाते चरमपंथी गतिविधियों में अपीलकर्ता की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए, यह मानता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय *भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (सुप्रा)* के मामले में लगाने योग्य नहीं है ।

55. तदनुसार, यह न्यायालय, यहां ऊपर उल्लिखित तथ्यों के आधार पर और अधिनियम, 1967 की धारा 43डी(5) के प्रावधान के साथ-साथ **जहूर अहमद शाह वटाली (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर का मानना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया असत्य है।

56 उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमें एजेसी XVI सह विशेष न्यायाधीश, एनआईए, रांची द्वारा विविध आपराधिक आवेदन संख्या 2023 का 2186 में पारित दिनांक 13.02.2023 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली। अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और इस प्रकार, लागू आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

57. परिणाम में, हमें तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए, तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

58. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, भी खारिज कर दिया जाता है।

59. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई कोई भी टिप्पणी सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता

के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है, वह केवल तत्काल अपील तक ही सीमित है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश.)

(**संजय प्रसाद, न्यायाधीश.**)

सौरभ/-

ए.एफ.आर.